न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या : 17/385

हंसराज आत्मज मोती जाति मीणा निवासी ग्राम खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
———अपीलान्ट

बनाम

1. आशाराम आत्मज जंशी जाति मीणा ।
2. पृथ्वीराज आत्मज जंशी जाति मीणा ।
3. मोजी राम आत्मज छीतर जाति मीणा ।
4. सत्यनारायण आत्मज मोजी राज जाति मीणा ।
5. राजा बाई पत्नी जंशी जाति मीणा ।
6. काली बाई पत्नी सत्यनारायण जाति मीणा ।
7. फौरी बाई पत्नी आशाराम जाति मीणा ।
8. नैनी बाई पत्नी पृथ्वी राज जाति मीणा ।
9. रामप्रसादी बाई पत्नी मोजी राम जाति मीणा निवासीगण ग्रमा खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री प्रहलाद मीणा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.10.2018

1. प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2–ए जाप्ता दीवानी बाबत् कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट ।

2. प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय में अपीलान्ट प्रार्थी ने हंसराज बनाम आशाराम व अन्य के उनवान से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनाक 22.07.2017 के खिलाफ अपील पेश की जिसमें प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश पेश किया गया जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 31.05.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2017 की पालना को स्थगित किये जाने का आदेश पारित किया । उक्त अपील में आगामी पेशी दिनांक 04.07.2017 नियत है । प्रतिपक्षी को स्टे आदेश की जानकारी होने के पश्चात् भी माननीय न्यायालय के आदेश की पालना न कर आदेश की अवहेलना व अवमानना करते हुए उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी के खाते व कब्जेकाश्त में चली आ रही भूमि में व्यवधान पैदा रकने पर आमादा हो गये हैं ।

3. अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण को माननीय न्यायालय के स्टे आदेश की अवमानना किये जाने के कारण दण्डित किया जावे ।

4. अवमानना प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया किया । अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया । प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

5. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2017 के खिलाफ अपील पेश की गई थी जिसमें स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 31.05.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2017 की पालना को स्थगित किये जाने का आदेश पारित किया । उक्त अपील में आगामी पेशी दिनांक 04.07.2017 नियत की गई । प्रतिपक्षी को स्टे आदेश की जानकारी होने के पश्चात् भी माननीय न्यायालय के आदेश की पालना न कर आदेश की अवहेलना व अवमानना करते हुए उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी के खाते व कब्जेकाश्त में चली आ रही भूमि में व्यवधान पैदा रकने पर आमादा हो गये हैं जिसकी रिपोर्ट दिनांक 08.05.2017 व दिनांक 30.05.2017 को थाना करवर में दर्ज करवाई गई इसके बाद स्थगन के आदेश के बाद प्रतिपक्षीगण एक राय होकर वादग्रस्त आराजी पर दिनांक 18.06.2017 को रात्रि को पुनः आये और जमीन की हंकाई कर दी । माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी स्थगन आदेश की अवमानना व अवहेलना करते हुए प्रार्थी को काश्त नहीं करने दी और प्रार्थी को भूमि से बेदखल करने की धमकी दी जिसके बाद प्रार्थी की पत्नी द्वारा दिनांक 21.06.2017 को थानाधिकारी पुलिस थाना करवर को इस सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु थानाधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की प्रतिपक्षीगण द्वारा अवहेलना की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिपक्षीगण को दण्डित किया जावे ।

6. अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवहेलना नहीं कर रहे हैं । प्रार्थना पत्र बनावटी और मिथ्या वर्णित है। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिपक्षीगण बहैसियत मालिक खातेदार काबिज काश्त हैं । इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवहेलना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमनना प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

7. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन ओदश की प्रमाणित प्रति, एक फोटोग्राफ, पुलिस अधीक्षक वृत्त नैनवा जिला बून्दी की रसीद दिनांक 03.07.2017, दिनांक 02.07.2017 अभिस्वीकृति रसीद, मनीषाबाई पुत्री हंसराज जाति मीणा व गन्नी बाई द्वारा दर्ज एफ.आई.आर की रसीद दिनांक 19.06.2017, पुलिस में दर्ज रिपोर्ट दिनांक 21.11.2016 की प्रति, जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 नया खाता संख्या 349 की प्रति, नामान्तरकरण संख्या 1443 की प्रति दिनांक 22.05.2017 संलग्न है ।

8. इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.05.2017 अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.05.2017 की पालना को स्थगित रखा गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2017 को वादी अप्रार्थीगण का दावा डिक्री कर उन्हें वादग्रस्त आराजी का खातेदार

घोषित किया है । प्रार्थना पत्र के साथ नामान्तरकरण की प्रति पेश की गई है उसके अनुसार दिनांक 22.05.2017 को ही इस निर्णय की अनुपालना में वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण वादी के खाते दर्ज की गई है । प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया जा रहा है कि अप्रार्थी के द्वारा इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय से अप्रार्थीगण को खातेदार घोषित किया है । कब्जे के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय ने कुछ भी निर्देश नहीं दिये हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.05.2017 को स्थगित की गई है । पत्रावली पर जो नामान्तरकरण की प्रति संलग्न है वह दिनांक 31.05.2017 से पूर्व की है । दोनों पक्षकारों के द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई है । प्रार्थी के द्वारा पत्रावली में दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है उनसे अप्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना किया जाना प्रमाणित नहीं पाया जाता है । ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज होने योग्य है ।

9. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपील का निस्तारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2018 को किया जा चुका है । अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2–ए जाप्ता दीवानी बाबत् अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा